

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग म.प्र.

नागरिक घोषणा-पत्र

वृष्टिकोषण - प्रदेश के नागरिकों को प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना जिससे कि वे एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होने में सक्षम हों।

अधिव्याप - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। जन भागीदारी के माध्यम से सामाजिक सदभाव के साथ सुगम, प्रभावी और क्रियान्वित तरीके से मनोनिष्ठ श्रम्य सीमा में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।

उद्देश्य - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का उद्देश्य सभी हिंस्रप्रतिघों को निम्नलिखित क्षेत्रों में उपचारी तथा रोकथाम हेतु चिकित्सा सेवा प्रदान करना है।

मुख्य उपलब्ध सुविधायें -

- 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करना।
- प्रसव पूर्व जाँच और प्रसूती
- प्रसवोत्तर (प्रसव के बाद) सेवाएँ एवं जाँच
- नवजात शिशु विशेषज्ञ चिकित्सा इकाई
- हृदय रोग चिकित्सक (आईसीयू)
- सामान्य तत्व चिकित्सक
- नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा
- हड्डी एवं जोड़ों के चिकित्सा
- बाल्य चिकित्सा (0-14 वर्ष की आयु)
- नाक-कान-गले के चिकित्सा
- रेडियोग्राफी, एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन
- महिला में 40 वर्ष उपरांत होने वाले रोगों का निदान
- देशी चिकित्सा पद्धति, बाह्य रोगी विभाग, पोषण पुनर्वास केन्द्र
- परिवार कल्याण इकाई - पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, गर्भ निरोधक
- एचआईवी/एडस के बारे में जागरूकता
- आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती की सुविधा
- जननी सुरक्षा योजना
- खकार जाँच केन्द्र (क्षय रोग)
- कुष्ठ रोग निदान
- राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत सहायता
- मेडिकोलीगल परीक्षण
- किशोर-किशोरी स्वास्थ्य क्लिनिक
- अंतर्वाही रोगी क्लीनिक
- बृद्ध उपचार क्लीनिक
- रोशनी क्लीनिक
- एन.सी.डी. क्लीनिक
- बाल शक्ति केन्द्र
- ब्लड बैंक

अन्य सुविधायें -

1) पहियों वाली कुर्सी एवं स्ट्रेचर (अनुरोप पर) 2) रोगी वाहन (24x7 घंटे) 3) रोगी वाहन सेवा दूरभाष क्र. 108 4) पेयजल सुविधा 5) जन्म-मृत्यु पंजीयन

पृष्ठताप -

• टेलीफोन नं. 0733-2224107, 2221107

• विशेषज्ञ/चिकित्सकों की बैठक व्यवस्था तथा बाह्य रोगी, अंत-रोगी, ऑपरेशन थियेटर में उपलब्ध की जानकारी

शिकायत निवारण -

उपचार में कठिनाई आने पर निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क करें एवं शिकायत दर्ज करायें।

लोक निवारण अधिकारी

सिविल सर्जन

टेलीफोन नं. 0733-2230799

महिल अधिकारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
टेलीफोन नं. 0733-2225990

रोगियों के रूप में नागरिकों के अधिकार -

- स्वीकृत मानकों के अनुसार चिकित्सा उत्साह व उपचार प्राप्त करने का अधिकार।
- अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं और निर्धारित शुल्क की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
- रोग की जटिलता, गंभीरता, निदान एवं प्रस्तावित उपचार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
- उपचार के लिए लिखी गई औषधि के साथ उसके सामान्य प्रभाव व संभावित दुष्प्रभावों को जानने का अधिकार।
- किसी भी दवा, जाँच व इलाज को स्वीकार या इंकार करने का अधिकार और ऐसा करने पर संभावित परिणामों के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार।
- आपकी गोपनीयता, गरिमा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विश्वासों का सम्मान किये जाने का अधिकार।
- आपकी हालत और इलाज से संबंधित चिकित्सकीय जानकारी को जानने का अधिकार।
- चिकित्सकीय स्थिति को गोपनीय रखे जाने का अधिकार।
- अस्पताल द्वारा बनायी गई प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का अधिकार और किसी भी शिकायत को शीघ्रता और अच्छी तरह निपटाने का अधिकार।
- उपचार से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत करने तथा शिकायत के निराकरण को तत्परता से निराकरण करने की प्रक्रिया को जानने का अधिकार।

नागरिकों की जिम्मेदारी -

- इस घोषणा-पत्र की सफलता उपभोक्ताओं के समर्थन पर निर्भर करती है।
- कृपया उन बाधाओं की सहायता करें जिसके तहत अस्पताल का करता है।
- कृपया दूसरे रोगियों के लिए असुविधाओं का कारण न बनें।
- कृपया अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र और इसके परिसर को साफ और स्वच्छ रखने में मदद करें, परिसर में धूँके नहीं।
- कृपया इस अस्पताल की सुविधाओं की देखभाल कर उपयोग करें।
- अस्पताल या स्वास्थ्य एक गैर प्रूपान क्षेत्र है। यहाँ बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू का सेवन न करें। शशि रु. 200/- जुर्माना।
- दलालों से सावधान रहें।
- कृपया अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने लिए अनुचित पक्ष की माँग करने से दूर रहें।
- पार्किंग - कृपया सुनिश्चित करें कि वाहन गैर पार्किंग क्षेत्र में तो खड़े नहीं हैं और गंभीर रोगी को आपातकालीन से जाने में बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

आपातकालीन सेवाएँ (असुविधा, दाना रोक, महिला चिकित्सालय) 24 घंटे उपलब्ध

बाह्य रोगी विभाग -

- रोगी का पंजीयन - प्रातः 9.00 से दोपहर 1.30 तक एवं दोपहर 2.15 से 4.00 बजे तक
- आपातकाल की स्थिति में नये रोगी का पंजीकरण - 24 घंटे
- नेत्र चिकित्सा - प्रतिदिन अवकाश को छोड़कर
- हड्डी रोग चिकित्सा - प्रतिदिन अवकाश को छोड़कर
- हाथ चिकित्सा - प्रतिदिन अवकाश को छोड़कर

अंत-रोगी शल्य चिकित्सा, स्त्री एवं प्रसूती, केन्द्ररोग, अरिस्त रोग इत्यादि -

- महिला प्रसूता को महिला चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार दिया जाता है।
- अनुत्सों के आने व जाने का समय - प्रातः 10.30 से दोपहर 2.00 एवं सायं 4.00 से रात्री 10.00 बजे तक रु. 5/- के पास के साथ।
- महिला बार्ड में रात्री 10 बजे पर्यन्त पुरुष का रूकना प्रतिबंधित है।

प्रयोगशाला -

- नमूना संग्रह समय सीमा (नियमित) - प्रातः 9.00 बजे दोपहर 2.30 बजे
- आपातकालीन प्रयोगशाला - दोपहर 3.00 बजे से 8.00 एवं रात 8.00 से प्रातः 8.00 तक
- किण्वण रिपोर्ट प्राप्ति का समय - दोपहर 3.00
- रक्त अपिकोष समय - 24 x 7 घंटे
- आपातकालीन की स्थिति में - 24 x 7 घंटे
- ऑपरेशन कक्ष - सामान्य समय तथा आपातकाल में ऑपरेशन

सेवाओं का मानक -

- बाह्य रोगी विभाग पंजीयन - 15 मिनट
- अंतरोगी विभाग पंजीयन - 10 मिनट
- चिकित्सक के साथ परामर्श - 30 मिनट
- दवा वितरण - 30 मिनट
- प्रयोग शाला जाँच, नमूनाकरण रिपोर्ट प्राप्ति - 60 मिनट उरती दिन
- जाँच प्रक्रिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, नेत्र जाँच - 60 मिनट अगले दिन की जायेगी 30 मिनट (सामान्य) 120 मिनट (विशेष जाँच)
- जन्म-मृत्यु, चिकित्सा प्रमाण-पत्र की उपलब्धता - अस्पताल की घुट्टी के समय
- शिकायतों का निवारण (अधिकतम) - 7 दिन और तत्काल यदि वह रोगी के प्रबंधन से संबंधित है तो
- जाँच-चिकित्सा अपाशिष्ट निष्पादन - 48 घंटे

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय, खण्डवा